

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :प.18(स्टोर)कृ0 आ0/गुप-14/2009-10/

दिनांक:

निविदा सूचना

कृषि आयुक्तालय को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं कृषि प्राधोगिक प्रबन्ध समिति (आत्मा) आदि योजनाओं के अन्तर्गत एवं समय-समय पर मुख्यालय से बाहर भ्रमण के लिए राजकीय उपयोग एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु न्यूनतम 4, अधिकतम 6 वाहन मासिक/प्रतिदिन की दर पर किराये पर लिए जाने के लिए दो वर्ष की सविदा करने के लिए खुली निविदा आमत्रित की जाती है तथा निम्न अंकित तिथी को दौपहर 1.00 बजे तक प्राप्त करके उसी दिन सांयकाल 3.00 बजे उपस्थित निविदादाता या उनके प्रतिनिधी के समक्ष गठीत समिति द्वारा खोली जाएगी।

कार्य का नाम	निविदा की अनुमानित राशि	अमानत राशि	निविदा शुल्क	निविदा प्राप्त करने की तिथी	कार्य अवधि
वाहन किराया हेतु इण्डिका, इण्डिगो, इनोवा (एसी/नोन एसी)	10.00 लाख	20000/- रु	100/- रु	25.1.2010	अनुबन्ध की तिथी से दो वर्ष के लिए

शर्तें:-

- 1- बिना अमानत राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। अमानत राशि नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट जो आयुक्त कृषि राजस्थान जयपुर के नाम देय होगी।
- 2- वाहन टेक्सी परमिट का ही होना चाहिए।
- 3- निविदा का स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
- 4- अवकाश का दिन होने पर निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जावेगी।
- 5- विस्तृत निविदा प्रपत्र के साथ देखी जा सकेगी।


आयुक्त कृषि